


8/2/21

पलायनी जिनल तलदी आवेउन पर आज के
 दुही, पुर्विकरि नं 2, 3 47 को मरे से अव.
 प्रगरीलाल ने एकालतनका धेश किया। एक
 आवेउन वकील प्रार्थ को मरे से शिष्ट पुनवाई
 का आवेउन वकील किया जाता छलवाउ
 का T-9. प्र-पं को पुनः नम्ब पर लिखे
 जाने का प्रत्युट किया वकील अपापीगण
 द्वारा दर्जे पर आवेउन वकील लिखे जाने
 का वकील दिया। वकील उभयपक्ष को पुनः
 गया एवं पलायनी एवं मूल 93 की पत्र
 नमूने का अपलोकन किया गया। मूल 93
 से वकील के दिर निहित है मूल 93 को
 15-1-20 को अद्य एपरी एवं अद्य परकी
 से खारिज किया गया था। मूल 93 का
 निम्नारण शुभाकरुछ के आख्या पर किया
 जाना अपापीचिह्न उचित होरा है।

आरा आवेउन बाउमपरी (गया) की
 वकील को मद्यनपर रखे दुहे। 1000-
 कोकेही एक एकर रूपरे के दर्जे पर
 वकील किया जाता है। एव -आपालप का
 आवेउन दिनांक 5-1-20 को अपापीचिह्न
 किया जाकर मूल 93 नं 17/15 वठवकील
 मद्यमूठ वकील वगण शुभराज वकील को पुनः
 पुनवाई एवं नम्ब पर किया जाता है
 पलायनी केवल मुगत होकर नम्ब से
 कन हो। वकील मद्यन हो। थर निर्वप
 T-9 आवेउन पर भी अपापीचिह्न लागू
 होगा।

निर्णय मद्य दिनांक 8/2/21 को
 मुखे -आपालप से मेरे एपलाकार है
 (उनाया गया)


 सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर